कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–माध्य/मा–द/अंग्रेजी माध्यम/ब्लॉक/2020–21/371 दिनांकः 11.08.2020

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   (मुख्यालय) – माध्यमिक।

2. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
   एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।

विषयः– जिला एवं ब्लॉक स्तर पर संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सत्रः 2020–21 हेतु प्रवेश सम्बन्धी निर्देशों में सम्मिलित अतिरिक्त प्रावधानों में आंशिक संशोधन/स्पष्टीकरण जारी किए जाने बाबत्।

प्रसंगः– समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांकः 07.08.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक निर्देश पत्र द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सत्रः 2020–21 हेतु प्रवेश सम्बन्धी निर्देशों में अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। उक्त निर्देशों के बिन्दू संख्या–1 के अनुसार समस्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा एवं वर्ग में पूर्व निर्धारित सीटों में शिक्षा विभाग राजस्थान के कार्यरत कार्मिकों/अधिकारियों की संतानो एवं सहोदर भाई–बहन को पूर्व निर्धारित सीटों के अतिरिक्त प्राप्त आवेदनों की स्थिति में इस वर्ग (शिक्षा विभाग राजस्थान में कार्यरत कार्मिकों/अधिकारियों) के संतान / सहोदर भाई–बहन के आवेदनों पर प्रवेश दिए जाने बाबत् प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्देशों में शिक्षा विभाग राजस्थान के कार्यरत कार्मिकों/अधिकारियों की संतानो में सम्बन्धित कार्मिक/ अधिकारी के पौत्र/पौत्री एवं दोहिता/ दोहिती (Grand Son / Grand Daughter) भी सम्मिलित माने जाएंगे। शेष निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा ।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. वरिष्ठ सम्पादक 'शिविरा', प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर